संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / 2020 /

भोपाल, दिनांक 24 / 03 / 2020

प्रति,

01.अधिष्ठाता,चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल; जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, सागर, खण्डवा, रतलाम, छिन्दवाडा, विदिशा, शिवपुरी शहडोल, मध्यप्रदेश।

02.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

03.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,मध्यप्रदेश।

04.अधीक्षक, सिविल अस्पताल बैरागढ, भोपाल, रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर, जन रूग्णालय इटारसी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

विषयः—नेशनल टास्कफोर्स (COVID-19) द्वारा Hydroxy chloroquine दवा का SARS- CoV-2 संक्रमण में बचाव हेतु जारी किये गये दिशानिर्देश बाबत्।

संदर्भः—महानिदेशक आई.सी.एम.आर. का अर्धशासकीय पत्र क्र.No.VIR/4/2020/ECD-1 दिनांक 22 मार्च 2020।

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि प्रयोगशाला में किये गये अध्ययन अनुसार Hydroxy chloroquine दवा,कोरोना वाईरस संक्रमण के बचाव (Prophylaxis) हेतु उपयोगी पाया गया है।

नेशनल टास्कफोर्स (COVID-19) द्वारा Hydroxy chloroquine दवा का SARS- CoV-2 संक्रमण में बचाव (Prophylaxis) हेतु जारी किये गये दिशानिर्देश निम्नानुसार है :—

Eligible individuals:

- निम्नलिखित व्यक्तियों को Prophylaxis हेतु Hydroxy chloroquine की दवा दी जानी है।
  01.संभावित एवं पुष्ट (COVID-19) केस की देखभाल करने वाले सभी लक्षणविहीन स्वास्थ्य कर्मी ।
  02.लेबोरेट्री द्वारा पुष्ट (COVID-19) केस के संपर्क में आने वाले लक्षणविहीन हाउस होल्ड व्यक्ति।

Dose:

Tab	Dose
Hydroxy chloroquine	400 mg twice a day on first day (with meal)
	400 mg once weekly for seven weeks (with meal)

Exclusion/contraindicatiors:

- 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये यह दवा अनुशंसित नहीं है।
- रेटीनोपेथी एवं known hypersensitivity to hydroxychloroquine , 4-aminoquinoline compounds से ग्रासित व्यक्तियों को यह दवा नही दी जायें।

Key considerations:

- शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक के द्वारा प्रिसक्राईब करने पर दवा उपलब्ध कराई जायें।
- यदि quinine एवं इससे संबंधित किसी भी उत्पाद से कोई विपरीत रियेक्शन पूर्व में हुआ हो तो दवा लेने से पूर्व चिकित्सक को आवश्य अवगत करावें।
- दवा लेने के उपरांत विपरीत रियेक्शन होने पर Pharmacovigilence Program of India के टोल फ्री नम्बर 1800–180–3024 पर सूचित करें।
- Prophylaxis दवा लेने के दौरान यदि किसी को SARS- CoV-2 संक्रमण के लक्षण दिखाई देते है तो राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर जांच एवं उपचार करावें।
- जो स्वास्थ्य कर्मी chemoprophylaxis पर है, वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का पालन करें।

संलग्नः– आई.सी.एम.आर.के दिशा निर्देश।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र

पृ.क्र./अ.प्रशा./2020/ 501 भोपाल, दिनांक 24/03/2020

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
04. आयुक्त, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश।
05. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
06. मिशन संचालक, एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल.भोपाल।
07. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।
08. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।

24.3.2020

संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र